पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–03 / 2019 सो० 1574

<u>**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी**</u>

<u>(सामान्य प्रशासन विभाग)</u>

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

पटना, दिनांक– 30-08-2019

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में।**

प्रसंगः– **समाहरणालय पूर्णिया का पत्रांक–627 / स्था०, दिनांक–22.07.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा करने में हुए विलम्ब के कारण विलम्ब शुल्क के मार्गदर्शन के संबंध में प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि विलम्ब शुल्क कर्मचारी भविष्य निधि के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित है। विलम्ब शुल्क मानदेय का हिस्सा नहीं है, विलम्ब शुल्क का भुगतान वेतनादि के अलावा मद से देय होगा।

आवंटन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान (नियोक्ता+कर्मी) की राशि अग्रिम के तौर पर जिलों को उपलब्ध कराई जाती है, ताकि इसमें विलम्ब नहीं हो। आवंटन / अग्रिम उपलब्ध होने की स्थिति में विलम्ब से भुगतान नहीं किया जाए। विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

उक्त के आलोक में कृपया तदनुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

30-8-19

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– **बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–03 / 2019 सो० 1574 दिनांक 30.08.2019**

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30-8-19

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\PREM\AO.docx529